

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय तार:-

अश्रित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक स्तर 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा स्तर 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संवाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1510-GAYATRI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,
MURHI, JAHANGIR PUR, AGRA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आईसीटीआई/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
6	TEXTILE DESIGN	60	60
7	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आईसीटीआई/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली 2018 तथा अन्य विभिन्न विषयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा दृष्टक निर्धारण समिति द्वारा

निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में इंधी। पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30-150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मों में पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक संस्था दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मों में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और सदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु सीएम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमसूची-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृत्ति छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उधमठ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मों में पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.टी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विशिष्ट रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशावली एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बहद दापर किया जाता है तथा दापर जाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आंशिकित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0टी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनमें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था द्वार पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति नहीं जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा पी0टी0आई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प्रातिभित्ति:

प्रधानाचार्य/निदेशक, GAYATRI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MURHI,
JAHANGIR PUR, AGRA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

एचआईवी/सीडी4/सीडी4/आईडो से अनुसंधान प्राप्त कर पीछा चार्जिंग को उपलब्ध करना होगा असावा उन्हें खोज की (क्या निती) के संस्कार से उन्हें खोज के अर्थ पर प्रतीति प्रदान अनुसंधान प्रदान नहीं की जायेगी।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर खोज की साक्षात् प्रमाणों के संदर्भ में वेबसाइट द्वारा एचआईवी/सीडी4/आईडो संस्कार के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर खोज की साक्षात् प्रमाणों के संदर्भ में वेबसाइट द्वारा एचआईवी/सीडी4/आईडो संस्कार के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को खोज प्रतीति प्रदान करने के लिए प्रमाणों के साथ प्रतीति प्रदान के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को खोज प्रतीति प्रदान करने के लिए प्रमाणों के साथ प्रतीति प्रदान के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को खोज प्रतीति प्रदान करने के लिए प्रमाणों के साथ प्रतीति प्रदान के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को खोज प्रतीति प्रदान करने के लिए प्रमाणों के साथ प्रतीति प्रदान के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।
- ✓ संस्था को खोज प्रतीति प्रदान करने के लिए प्रमाणों के साथ प्रतीति प्रदान के अर्थ पर प्रतीति प्रदान करना होगा।


(एचआईवी/सीडी4/आईडो)

सचिव

दिनांक: 28/08/2022

पृष्ठ संख्या: प्रशिक्षण/प्रतिष्ठान/संस्कृत/2022/27818-2455

प्रतिष्ठान: **गयात्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग & टेक्नोलॉजी**


(एचआईवी/सीडी4/आईडो)

सचिव